tonnes per annum. During the years 1993-94, 1994-95 and 1995-1996 marine fish production was 1.04, 1.22 and 1.23 lakh tonnes respectively. Thus, there is some scope for promoting marine fishing in the State. Besides the schemes under the State Plan, the Department of Agriculture and Cooperation is implementing the following Centrally Sponsored Schemes during the Eighth Plan to tap the marine fishery potential:—

(i) Development of coastal marine fisheries comprising the components viz.

(a) Motorisation of Traditional Craft.

(b) Introduction of Plywood Craft.

(c) Introduction of intermediate type of craft for offshore pelagic fishing, and

(d) Reimbursement of Central Excise Duty on HSD oil supplied to mechanised fishing vessels below 20 metre length.

(ii) Enforcement of Marine Fishing Regulation Act and introduction of Artificial Reefs and Sea Fanning.

(iii) Schemes for development of Fishery Harbours (major and minor ports) and Fish Landing Centres.

(iv) Development of model fishermen villages, group accident insurance and saving-cum-relies under the National Welfare of Fishermen Scheme.

(c) Ninth Plan Schema have not yet been finalised.

स्वामीनाथन समिति का प्रतिवेदन

2902. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार को स्वामीनाथन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य –मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उन अंचलों की पहचान की है जहां खाद्यान्न की उत्पादकता दर राष्ट्रीय दर से कम है; यदि हां, तो उन अंचलों के नाम क्या हैं तथा उत्पादकता की दर कम होने के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने इन अंचलों में उत्पादकता दर बढ़ाने के लिए कार्यान्वय हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ड़) यदि हां, तो इस प्रकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में आर्थिक रिपोर्ट संख्या 1, 15 फरवरी, 1997 को प्रस्तुत की गयी है।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य विशेषता उध्वर्धर एवं क्षेतिज एकीकरण द्वारा गरीबी निवारण, ग्रामीण विकास, कृषि एवं कृषि उद्योग के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यक्रमों मे अभिसरण एवं सहक्रिया लाना एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पारम्परिक ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सीमान्त प्रौद्योगिकी के मिश्रण पर आधारित पारिस्थितिक, प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रचार के प्रोत्साहन देना है।

(ग) वैसे राज्यों, जहां उत्पादकता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है, में 1995-96 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए गेहूं, चावल, दलहन एवं अन्य खाद्यान्नों (अर्थात् मोटे अनाज के संदर्भ में औसत उत्पादकता को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्र है। (नीचे देखिए) कम उत्पादकता के प्रमुख कारण छोटे एवं सीमान्त जोतों का ज्यादा मात्रा में होना, आदान उपयोग का निम्र स्तर, उन्न्त फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का कम अपनाया जान तथा अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं आदि माने जाते हैं।

(घ) और (ड़) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है:-

(1) चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एक समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल)

(2) गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-गेहूं)

(3)मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पई.-मोटे अनाजद्, एवं

(4) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.)।

इन योजनाओं के माध्यम से, धान एवं मोटे अनाजों के संकरों सहित बीजों की स्थान-विशेष अधिक उपज देने वाली किस्में, उन्नत फार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सिंचाई सेटों के उपयोग, समेकित कृमि प्रबन्धन को अपनाने, फील्ड प्रदर्शनो के आयोजन एवं किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जा रही है।

विवरण

राज्य, जहां औसत उत्पादकता राष्ट्रीय औसत उत्पादकता स्तर से कम है, में 1995-96 में खत्म होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने हुए फसलों की औसत उत्पादकता।

(कि.ग्रा./हैक्टेयर)

गेहूं		चावल		दलहन		मोटे अनाज	
राज्य	उत्पादकता	राज्य	उत्पादकता	राज्य	उत्पादकता	राज्य	उत्पादकता
असम	1222	अरुणाचल प्रदेश	1102	आंध्र प्रदेश	423	असम	610
बिहार	2062	असम	1345	असम	534	गुजरात	850
गुजरात	2342	बिहार	1323	गुजरात	575	हरियाणा	924
हिमाचल प्रदेश	1375	गुजरात	1466	हिमाचल प्रदेश	383	मध्य प्रदेश	788
जम्मू व कश्मीर	1446	हिमाचल प्रदेश	1314	जम्मू व कश्मीर	532	महाराष्ट्र	869
कर्नाटक	735	मध्य प्रदेश	1152	कर्नाटक	420	उडीसा	779
मध्य प्रदेश	1661	महाराष्ट्र	1616	महाराष्ट्र	533	राजस्थान	466
महाराष्ट्र	1379	मेघालय	1124	उडीसा	509		
राजस्थान	2238	मिजोरम	1536	राजस्थान	428		
सिक्किम	1201	नागांलैंड	1315	तमिलनाडु	417		
उत्तर प्रदेश	2422	उडीसा	1413				
पश्चिम बंगाल	2324	राजस्थान	988				
		सिक्किम	1316				
		त्रिपुरा	1843				
		उत्तर प्रदेश	1875				
		पांडिचेरी	1595				
अखिल भारत	2478	अखिल भारत	1885	अखिल भारत	586	अखिल भारत	936

नोटः 10,000 टन से कम उत्पाद वाले राज्यों को शामिल नहीं किया गया है।

Wheat Crop hit by Weeda

2903. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the ensuing wheat crop in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh is hit by weeds and can be damaged upto 50% of the yield;

(b) the studies made by the Indian Agricultural Research Institute in this regard; and

(c) how the problem is proposed to be tackled by Government to achieve a realistic target of wheat production?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) No, Sir. State